4

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/ 2818/ TADP/2025 भोपाल,दिनांक: 07/10/2025

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त वनमण्डलाधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
4. समस्त सहायक आयुक्त,
   जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय:- वन ग्रामों में वन अधिकार पत्र/पट्टों की मान्यता लागू करने में आने वाली कठिनाईयों में स्पष्टीकरण बाबत।

संदर्भ:- जनजातीय कार्य विभाग के पत्र क्रमांक/85-TWD/224/2025 दिनांक 16.04.2025.

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वनग्रामों का पूर्ण मानचित्र और IFR दावों की पूर्ण मान्यता सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्र स्तरीय प्रक्रिया निर्धारित की गई थी जिसके संबध में क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर आ रही कठिनाईयो के समाधान हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

1. वनग्रामों का वर्ष 1980 में भू-प्रबंध इकाई योजना अंतर्गत संर्वेक्षण उपरांत तैयार किये गये पटवारी मानचित्र के रकबे को मान्य किया जाएगा।

2. जिस भूमि का पट्टा आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्थापना नियम, 1977 के तहत दिया गया है, उससे भिन्न भूमि पर काबिज होना।

समाधान- वन ग्रामों में कोई भी पूर्णकालिक पटवारी या उसके समकक्ष कर्मचारी न होने के कारण पट्टेधारी द्वारा खेती के लिये वनग्राम में उपयुक्त भूमि पर कब्जा कर खेती की गई और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे कि पट्टेधारी को उसके पट्टे की भूमि की पहचान कराकर उससे पृथक भूमि पर खेती करने से रोक लगाई गई हो। अतः वन ग्राम में जितनी भूमि का पट्टा दिया

कार्यालय वनमंडल अधिकारी क्र. 8379 दि. 8/10/25

गया है उतने रकबे में वनग्राम में कहीं भी 13/12/2005 की स्थिति में काबिज होने की दशा में उसे मान्य करते हुये संशोधित पट्टा प्रदाय किया जाये।

3. आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्थापना नियम, 1977 के प्रभावशील होने के पूर्व पुराने वनग्राम नियमों के अन्तर्गत ढाई हेक्टेयर से अधिक के पट्टे दिये गये थे।

समाधान- यह पट्टे वर्ष 1977 के पूर्व दिये गये थे:-

अ. आदिवासी वर्ग के प्रकरणों में :-

(क) ऐसे मूल पट्टेदार जिनके 13/12/2005 की स्थिति में वयस्क वारिसान हो गये थे तथा वारिसानों को मिलाकर समस्त कब्जे मूल पट्टे की भूमि से अधिक हैं तो उन्हें वनग्राम के अन्दर एवं बाहर का रकबा जोड़कर 13/12/2005 की स्थिति में जो कब्जा है उसके अधिकतम 4 हेक्टेयर प्रति परिवार की सीमा तक वन अधिकार पत्र दिये जायें।

(ख) ऐसे पट्टाधारी जिनके 13/12/2005 की स्थिति में एक ही वारिस है और पट्टे में दी गई भूमि के रकबे के अनुसार कब्जा है (वनग्राम के अन्दर भिन्न खसरों में) तो उसे पट्टे के रकबे अनुसार वन अधिकार पत्र दे दिये जायें।

ब. गैर आदिवासी वर्ग :-

(क) वनग्राम की सीमा के अंदर (वर्ष 1980 में निर्मित पटवारी मानचित्र अनुसार) गैर आदिवासी वर्ग के पट्टेधारी जिसको आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्थापना नियम, 1977 के अन्तर्गत पट्टे दिये गये है तथा तीन पीढी का प्रमाण नहीं दे पा रहे है, उन प्रकरणों में वनग्राम की सीमा के अन्दर 13/12/2005 की स्थिति में पट्टाधारी या उसके समस्त पात्र वारिसों द्वारा कहीं भी पट्टे के रकबे की सीमा तक कब्जे को मान्य करते हुये आरक्षित तथा संरक्षित वनों में वन ग्रामों की स्थापना नियम, 1977 अन्तर्गत पुनरीक्षित पट्टा दिया जायेगा।

4. कुछ वनग्रामों में पट्टेधारी 13/12/2005 के पूर्व ग्राम छोड़कर चले गये हैं या मृत्यु हो गई है और उनका या उनके वारिसान का भी पता नहीं चल रहा है तथा वर्तमान में उनकी भूमि वृक्ष आच्छादित होकर वन के रूप में परिवर्तित हो गई है। ऐसी स्थिति में उनके पट्टे शून्य माने जायेंगे। यदि भविष्य में उनका या उनके वारिसान के बारे में संज्ञान होता है तो पात्रता निर्धारित कर नियमानुसार निराकरण किया जाये।

5. ऐसे वनग्राम जिसके कुछ भाग अभी भी वन आच्छादित है तथा कोई खेती नहीं हो रही है, ऐसे क्षेत्र को वनग्राम से पृथक करके वन प्रबंधन में लिया जाये।

समस्त कार्यवाही का आधार :- 13/12/2005 की स्थिति में कब्जेदार को व्यस्क होना अनिवार्य है और 13/12/2005 की स्थिति में व्यस्क कब्जेदार/पट्टेधारी का जो कब्जा रकबा है उसी का निराकरण किया जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(गुलशन बामरा)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग

(अशोक बर्णवाल)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग

(विवेक कुमार पोरवाल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग

(टीपाली रस्तोगी)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/ 2819/ITADP/2025 भोपाल,दिनांक: 07/10/2025

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य अनुसूचित जाति कल्याण विभाग
4. अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, मध्यप्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, मध्यप्रदेश।
7. प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर।

9. प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश।

10. आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, मध्यप्रदेश।

11. संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश भोपाल।

12. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग